रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-25022023-243899
CG-UP-E-25022023-243899

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2023/फाल्गुन 4, 1944
No. 130] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2023/PHALGUNA 4, 1944

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

अधिसूचना

लखनऊ, 16 फरवरी, 2023

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (अभिलेखों की सुलभता) विनियम, 2021

फा. सं. आरआईएमवी-148/विनियम.—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (2) के खंड (डी) सपठित धारा 42 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का निदेशक मंडल निम्नलिखित विनियमों का प्रवर्तन करता है:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (अभिलेखों की सुलभता) विनियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(3) ये विनियम निम्नलिखित के संबंध में प्रयोज्य होंगे,-

(ए) कोई भी उधार लेने वाली संस्था जो लघु उद्योग बैंक से किसी ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त करना चाहती है या प्राप्त कर चुकी है;

(बी) कोई भी व्यक्ति जो खंड(ए) में विनिर्दिष्ट उधार लेने वाली संस्था से किसी ऋण सुविधा से लाभान्वित होना चाहता है या लाभान्वित हो चुका है।

2. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में, जबतक अन्यथा कोई संदर्भ अपेक्षित न हो, -

(ए) "अधिनियम" का अर्थ है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989(1989 का 39);

(बी) "निदेशक मण्डल" का अर्थ है अधिनियम के अंतर्गत गठित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का निदेशक मण्डल।

(सी) "उधार लेने वाली संस्था" का अर्थ है कोई भी राज्य वित्तीय निगम, राज्यऔद्योगिक विकास निगम, राज्य लघु उद्योग निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, अनुसूचित बैंक, राज्य सहकारी बैंक, अन्य कोई बैंक अथवा ऐसी वित्तीय संस्था जिसे लघु उद्योग बैंक द्वारा ऋण प्रदान करने के लिए निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया हो तथा जो लघु उद्योग बैंक से किसी भी प्रकार की ऋण सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक हों अथवा प्राप्त कर चुके हों;

(डी) "आईबीसी" का अर्थ है दीवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 (2016 का 31);

(ई) "सूचना" का अर्थ है वह सूचना जिसे दीवाला और शोधन अक्षमताबोर्ड (सूचना उपयोगिताएँ) विनियम 2017 के विनियम 2 के उप-विनियम(1) के खंड(एच) में परिभाषित किया गया है;

(एफ) "सूचना उपयोगिताओं विनियम" का अर्थ है भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमताबोर्ड (सूचना-उपयोगिता) विनियम, 2017;

(जी) "सूचना उपयोगिता" का अर्थ दीवाला और शोधन अक्षमतासंहिता, 2016 की धारा 3 के खंड (21) में दी गई सूचना उपयोगिता की परिभाषा के अनुसार है ;

(एच) "अभिलेख" का अर्थ है दस्तावेज़, पांडुलिपियाँ, आँकड़े, सूचना तथा फाइलें जोकि लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिकरूप में मीडियामें, चुम्बकीय रूप में, ऑप्टिकलरूप में, कंप्यूटर मेमोरी में, माइक्रोफिल्म में, कंप्यूटर-जनित माइक्रो-फीश मेंअथवा ऐसे ही अन्य किन्हीं उपकरणों में रखी गई हो, तथा जो व्यवसाय संबंधी लेनदेन, जिनमें निम्नांकित शामिल हैं, का साक्ष्य उपलब्ध कराती हों —

(i) बीजक, रसीदें, सहायक-बहीलेखे, सामान्य बहीलेखे,तल-पट, आय-विवरणी, तुलनपत्र, नकदी-प्रवाह विवरणी तथा अन्य कोई सूचना जिसे लघु उद्योग बैंक द्वारा आवश्यक समझा जाए;

(ii) किसी भी व्यक्ति द्वारा उधार लेने वाली संस्था से माँगी गई अथवा प्राप्त की गई ऋण सुविधाओं और उक्त उधार लेने वाली संस्था द्वारा इसके लिए रखी गई प्रतिभूतियों का विवरण, जिसके संबंध में लघु उद्योग बैंक द्वारा अनुमति प्रदान की गई है ;

(iii) खंड (ई) में यथा परिभाषित जानकारी;

(आई) "रिज़र्व बैंक" से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का 2) के अंतर्गत गठित भारतीय रिज़र्व बैंक अभिप्रेत है;

(जे) "लघु उद्योग बैंक" का अर्थ अधिनियम के अंतर्गत संस्थापित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है;

(2) जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किया गया है उनके अर्थ क्रमशः वही होंगे, जो अधिनियमों में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

3.अभिलेखों की सुलभता

(1) अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (1) में संदर्भितउधार लेने वाली संस्था से संबंधित अभिलेख अथवा अन्य किसी व्यक्ति से संबंधित अभिलेख,जो उक्त उधार लेने वाली संस्था से ऋण सुविधाएं लेने का इच्छुक हो या ले चुका हो,निम्नांकित प्रयोजनों के लिए लघु उद्योग बैंक के स्वतंत्र अभिगम के अधीन होंगे:

(ए) ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण करने हेतु;

(बी) उक्त अभिलेख लघु उद्योग बैंक को उपलब्ध कराने हेतु नोटिस के माध्यम से निदेशित करने पर;

(सी) आईबीसी की धारा 215 के प्रावधानों और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी परिपत्रों और अनुदेशों के अनुसार, सूचना-उपयोगिता के संबंध में प्रस्तुत की गई किसी भी जानकारी की प्राप्ति हेतु ।

(2) लघु उद्योग बैंक उप-विनियम (1) के खंड (ए) के अधीन अपने एक या अधिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण-कार्य संपन्न करा सकता है और उधार लेने वाली संस्था ऐसे अधिकारी को वे सभी अभिलेख उपलब्ध कराएगी, जो ऐसे अधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाएंगे।

(3) उप-विनियम (1) के खंड (बी) के अंतर्गत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए लघु उद्योग बैंक द्वारा किया गया अनुरोध ऐसे उधार लेने वाले संस्थान या व्यक्ति पर बाध्यकारी होगा और ऐसी उधार लेने वाली संस्था या व्यक्ति,उक्त अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर या लघु उद्योग बैंक द्वारा निर्धारित ऐसी किसी आगे की अवधि के भीतर, लघु उद्योग बैंक द्वारा वांछित तौर-तरीके के मुताबिक उक्त अभिलेख उपलब्ध कराएगा।

(4) उप-विनियम (2) के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई अभिलेखों की प्रतियों को प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सत्यापित तथा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

4.सूचना-उपयोगिता पर सूचना का प्रस्तुत किया जाना

(1) उधार लेने वाली संस्था द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई ऋण सुविधाओं के लिए संपन्नकिए गए किसी भी लेन-देन संव्यवहार, जिसके लिए लघु उद्योग बैंक द्वारा अनुमति दी गई है, से संबंधित सूचना, लघु उद्योग बैंक को आईबीसी की धारा 215 और उसके अंतर्गत सूचना-उपयोगिता विनियमों में निर्दिष्ट तौर-तरीके के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।

(2) लघु उद्योग बैंक को उधार लेने वाली किन्हीं संस्था या व्यक्ति, जो उधार लेने वाली संस्था से किसी भी ऋण-सुविधा से लाभान्वित होने का इच्छुक है या उसका लाभ उठा चुका है, से संबंधित जानकारी स्वतंत्र रूप से सुलभ होगी,भले ही वह जानकारी किसी भी सूचना-उपयोगिता पर उपलब्ध हो या किसी उधार लेने वाली संस्था या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई हो।

5.सूचना प्रस्तुत करने में चूक

जहां किसी उधार लेने वाली संस्था से विनियम 3 और 4 के अनुसार सूचना की प्रस्तुति अनिवार्य हो और यदि वह संस्था विनिर्दिष्ट तरीके से और समयावधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहती हैतो, ऐसी विफलता को पुनर्वित्त करार और अन्य प्रतिभूति-दस्तावेजों के नियमों और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगाऔर इसके संबंध में लघु उद्योग विकास बैंक यथोचित कार्रवाई कर सकेगा।

एस. एन. सिंह, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./656/2022-23]

यह प्रमाणित किया जाता हैकि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 07 अगस्त , 2021 को संपन्न अपनी बैठक में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (अभिलेखों की सुलभता) विनियम, 2021 को अनुमोदित और अंगीकृत किया है।

संजय जैन, मुख्य महाप्रबंधक

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Lucknow, the 16th February, 2023

"Small Industries Development Bank of India (Access to Records) Regulations, 2021"

F. No. RIMV-148/Regulations.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) and Clause (d) of Sub-Section (2) of Section 52 read with section 42 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989, (39 of 1989), the Board of Directors of the Small Industries Development Bank of India hereby makes the following Regulations, namely:—

1. Short title and commencement

(1) These regulations may be called the Small Industries Development Bank of India (Access to Records) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These Regulations shall apply to,—

(a) any borrowing institution which seeks to avail or has availed any credit facilities from the Small Industries Bank;

(b) any person who seeks to avail or has availed of any credit facilities from such borrowing institution at clause (a).

2. Definitions.

(1) In these Regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989);

(b) "Board" means the Board of Directors of the Small Industries Bank constituted under the Act;

(c) "Borrowing Institution" means any State Financial Corporation, State Industrial Development Corporation, State Small Industries Corporation, National Small Industries Corporation, Scheduled Bank, State Cooperative Bank, any other bank or such other financial institutions, approved by the Board for granting of loans or advances by Small Industries Bank and which seeks to avail or has availed any credit facilities from Small Industries Bank;

(d) "IBC" means the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016);

(e) "Information" means the information as defined in clause (h) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017;

(f) "Information Utilities Regulations" means Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) Regulations, 2017;

(g) "Information Utility" means an Information Utility as defined in clause (21) of section 3 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016;

(h) "Records" means documents, manuscript, data, information and files kept in writing or stored in electronic form in media, magnetic, optical, computer memory, micro film, computer generated micro fiche or similar device that provide evidence of or summarise business transactions including, —

(i) invoices, receipts, subsidiary ledgers, the general ledger, the trial balance, income statement, balance sheet, statement of cash flows and any other information or document deemed necessary by Small Industries Bank;

(ii) details of credit facilities sought or availed by any person from the borrowing institution and the securities held or which may be held by such borrowing institution, on account of any transaction in respect of which accommodation has been granted by the Small Industries Bank;

(iii) information as defined in clause (e);

(i) "Reserve Bank" means the Reserve Bank of India constituted under the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934);

(j) "Small Industries Bank" means Small Industries Development Bank of India established under the Act;

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Access to Records.

(1) The records, of the borrowing institution or any person who seeks to avail or has availed of any credit facilities from such borrowing institution, referred to under sub-section (1) of section 42 of the Act, may be freely accessed by the Small Industries Bank by:

(a) causing inspection of such records;

(b) directing by way of notice for furnishing of such records to Small Industries Bank;

(c) accessing the information submitted to any of the Information Utilities in accordance with the provisions of section 215 of the IBC, and the circulars and instructions of the Reserve Bank, as issued in this regard from time to time.

(2) Small Industries Bank may, by one or more of its officers, cause an inspection, under clause (a) of sub-regulation (1) and the borrowing institution shall produce to such officer, all the records deemed necessary by such officer.

(3) The requisition by Small Industries Bank for furnishing records, under clause (b) of sub-regulation (1), shall be binding on such borrowing institution or person, and such borrowing institution or person shall furnish the same, in such form and manner as desired by Small Industries Bank, within fifteen days from the date of receipt of such requisition or within such further period as may be granted by Small Industries Bank.

(4) Copies of the records furnished under sub-regulation (2) shall be verified and signed by the authorised person.

4. Submission of Information with Information Utility.

(1) The borrowing institution shall submit to the Small Industries Bank, the information in relation to credit facilities granted by the borrowing institution to any person on account of any transaction, in respect of which accommodation has been granted by the Small Industries Bank, through an Information Utility in the form and manner as prescribed in section 215 of the IBC and the Information Utilities Regulations thereunder.

(2) Small Industries Bank shall have free access to the information, pertaining to the borrowing institution or any person who seeks to avail or has availed of any credit facilities from the borrowing institution, available with any Information Utility, whether submitted by the borrowing institution or by any other person.

5. Default in furnishing information.

Where a borrowing institution is required to furnish information under regulation 3 and 4, fails to do so in the manner and within period specified, such failure shall be treated as a breach of terms and conditions of the refinancing agreement and other security documents, enabling Small Industries Bank to take such action as it may deem fit.

S N SINGH, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./656/2022-23]

Certified that the Board of Directors of Small Industries Development Bank of India in its meeting held on 7th August 2021 has approved and adopted the Small Industries Development Bank of India (Access to Records) Regulations, 2021.

SANJAY JAIN, Chief General Manager

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.02.25 09:26:23 +05'30'